

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क.सं./रीज.र/2024/2024 / 426


दिनांक- 22/05/2024

विषय-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं.416/2024 अनवान धनराज उर्फ धन्ना पिता मांगीलाल भाटा नि० ग्राम हरसलों का खेड़ा बनाम देवी पिता पेमाराम हरिजन नि० हरसलों का खेड़ा, मगनी पत्नी उगमा बलाई नि० हरसलों का खेड़ा, लक्ष्मण पिता पेमा हरिजन नि० हरसलों का खेड़ा, सीता पत्नी उगम बलाई नि० हरसलों का खेड़ा, कालु पिता मोती बलाई नि० हरसलों का खेड़ा, छगन पिता मोती भाट नि० हरसलों का खेड़ा, दुदा पिता मोती बलाई नि० हरसलों का खेड़ा, रतन पिता मोती भाट नि० हरसलों का खेड़ा, रतन पिता मोती भाट नि० हरसलों का खेड़ा, रामकन्या पत्नी कालु गुर्जर नि० हरसलों का खेड़ा, तहसीलदार जहाजपुर यगौरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम हरसलों का खेड़ा प. ह. भगुनगर आराजी सं. 2/14 कुल कित्ता 01 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(विभाग 20)

अज अतालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा
धनराज उर्फ धन्ना पिता मांगीलाल भाटा नि० ग्राम हरसलों का खेडा .

बनाम

देवी पिता पेमाराम हरिजन नि० हरसलों का खेडा वगैरह

मुकदमा नंबर 426/2024

क्रि.स. मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
22/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम हरसलों का खेडा प.ह. भगुनगर आराजी सं. 2/14 कुल किता 01 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम हरसलों का खेडा प. ह. भगुनगर आराजी सं. 2/14 कुल किता 01 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगड को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा